

FORM NO.111

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सुनील कुमार वर्मा बनाम कृष्णा देवी वर्मा

कैवियट मुकदमा धारा 148(1) केवियट

मुकदमा नम्बर 143/2024

कैवियट दुरुस्त होना या कार्यवाही मग लघु हस्ताक्षर

न्यायालय की न्यायिक  
प्रक्रिया में जोड़ने  
दुरुस्त की जायेगी  
में जारी हुए

28.08.2024

पार्थी वकील श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एडवोकेट के द्वारा विविधि प्रार्थना पत्र केवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 23.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र केवियट अन्तर्गत धारा 148(1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फौसल किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होर बाद तकमील दाखित दपतर है।

( अनिल कुमार )

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

